POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/ प्रेस विज्ञप्ति – दिनांक 02.07.2024

1.थाना सेक्टर 63 नोएडा पुलिस द्वारा मोबाइल फोन दिखाकर मोबाइल के बदले धोखे से मोबाइल नुमा शीशा कवर में रखकर राहगीरो को बेचने वाला अभियुक्त गिरफ्तार--

घटना व कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **02.07.2024** को थाना सेक्टर-63 नोएडा पुलिस द्वारा लोकल इंटेलिजेंस एवं गोपनीय सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुये मोबाइल फोन दिखाकर मजबूरी बताते हुये कम दामों में तय करके मोबाइल फोन के बदले धोखे से मोबाईलनुमा शीशा कवर में रखकर कम्पनी में आने-जाने वाले राहगीरो को बेचने वाले अभियुक्त जिशान पुत्र इकरामुद्दीन को बंद पडे रिलायन्स पेट्रोल पम्प के पास एच-ब्लाक से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से 04 मोबाइल, 03 शीशे के मोबाइलनुमा, 01 अवैध चाकू व घटना में प्रयुक्त मो0सा0 सुपर स्पलेन्डर नं0 यूपी 15 सीवी 5939 बरामद की गयी। अभियुक्त ने बताया कि बरामद मोबाइल मैने व मेरे दोस्त समरेज ने चोरी किये हुये थे तथा इन मोबाइल को शीशेनुमा मोबाइल में रखकर राहगीरों को बेच देते थे। अभियुक्त के साथी समरेज की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है।

अभियुक्त का विवरण--

1. जिशान पुत्र इकरामुद्दीन निवासी म0नं0 615 गली नं0 2 मोबिन नगर लोहियानगर जिला मेरठ उम्र 36 वर्ष

बरामदगी का विवरण--

1. 04 मोबाइल
2. तीन शीशे मोबाइल नुमा
3. 5 काले रंग के कवर
4. 01 चाकू
5. घटना में प्रयुक्त 01 मो0सा0 सुपर स्पलेन्डर रजि0 नं0 यूपी 15 सीवी 5939

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

1. मु0अ0सं0 284/2024 धारा 318(4)/317(2)/317(5) बी.एन.एस व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सेक्टर-63, नोएडा

2. थाना सेक्टर-63 नोएडा पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट में वांछित 5,000/रूपये का इनामी अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **02.07.2024** को थाना सेक्टर 63 नोएडा पुलिस द्वारा लोकल इंटेलीजेंस एवं गोपनीय सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुये गैंगस्टर एक्ट में फरार चल रहे वांछित 5,000/रूपये के पुरस्कार घोषित अभियुक्त रजनीश पुत्र संजीव झा को 62 गोल चक्कर से **गिरफ्तार** किया गया है।

संक्षिप्त विवरण-- गिरफ्तारशुदा अभियुक्त रजनीश अपने सह अभियुक्तों के साथ मिलकर फर्जी कॉल सेंटर संचालित कर चाइनीज लोन एप के कलेक्शन का काम करता था तथा चाइनीज लोन एप से रोजाना मिलने वाले डाटा के अनुसार पीडितों के व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके लोन लिये पैसे डेढ गुने वापस करने की नियत से व्हाट्सएप का उपयोग करके पीडितों के फोटो पर आपत्तिजनक एवं अश्लील बातें लिखकर फोटो को एडिट करता था तथा पैसे न देने की दशा में आपत्तिजनक बातें पीडितों के सभी मित्रों व रिश्तेदारों को भेजने की बात कहकर प्रताडित करता था। अभियुक्त के उक्त कृत्य से कई बार लोग 10 गुणा तक पैसे दे देते थे, पैसे न मिलने पर अभियुक्त द्वारा एडिट फोटो पीड़ित के मित्रों एवं परिजनों को भेजे जाते थे।

अभियुक्त का विवरण--

1. रजनीश पुत्र संजीव झा निवासी म.न. 86 अम्बे एन्कलेव सभापुर चौहन पट्टी सोनिया विहार दिल्ली मूल पता मधुबनी बिहार

पंजीकृत अभियोग व आपराधिक इतिहास का विवरण--

1. मु0अ0सं0 295/24 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना सेक्टर 63 नोएडा
2. मु0अ0सं0 530/22 धारा 420/34/120बी भादवि व 67/67ए आईटी एक्ट थाना सेक्टर-63 नोएडा